

१९७६
हाई स्कूल

राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद

संख्या: दिनांक: १०/०८/७६
परिषद् द्वारा संचालित १९७६ की हाईस्कूल परीक्षा में बस्यगत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण:-
अनुक्रमांक: २३६
अंकों का नाम: २३ मैट्रिक

परीक्षार्थी द्वारा लिख गए विषयों के नाम	विषय के अंक	प्रथम पत्र	द्वितीय पत्र	तृतीय पत्र	चतुर्थ पत्र	योग	कियात्मक विषय			उत्तर योग	परीक्षाफल इस स्तम्भ की अनावश्यक प्रविष्टियाँ कटने की जाएंगी
							प्रथम	द्वितीय	योग		
१	१००	३	४	५	६	७	८	९०	११		
१-हिन्दी	१००	१४	१२	१८					५४	उत्तीर्ण श्रेणी ३	
२-गणित सामान्य गणित/पट्टी विज्ञान	१००	३१	१६						४७	विशेष योग्यता X	
३-विज्ञान	१००	२५	१६					४१	४६	वर्माक X	
४-अंग्रेजी	१००	२५	२६					५१	५८	अनुत्तीर्ण X	
५-अंग्रेजी	१००	२३	२६					४९	६०	पुरक परीक्षा का अधिकारी है? X	
									६०	स्वतः संकानुसंधान का अधिकारी है? X	

सम्पूर्ण प्रश्नांक (सर्व) में: ४० मैट्रिक (अंको में) - २३६

॥ परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना ॥

- (१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३% है जिन विषयों में लिखित एवं कियात्मक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- (२) विशेष योग्यता पाने के लिए किसी विषय के प्रश्नांक योग में ७५ प्रतिशत अंकों प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (३) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिए क्रमशः ६०, ४५ एवं ३२ प्रतिशत होना चाहिए।
- (४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह पुरक परीक्षा का अधिकारी है।
(५) जो केवल एक विषय में २० प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, पुरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही स्वतः परीक्षानिरीक्षण के अधिकारी भी होंगे उनकी उच्च पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण बिना शुल्क के ही किया जाएगा अतः उन्हें वांछित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वह इसके लिए शुल्क जमा कर देंगे तो उसे ज्ञातया बही जायेगा।
- (६) जो परीक्षार्थी पुरक परीक्षा के अधिकारी होते हुए भी स्वतः परीक्षानिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे तथा अनुच्छेद (५) में उल्लिखित परीक्षार्थियों की श्रेणी में नहीं आते, यदि वे चाहें तो शुल्क देकर अपनी उत्तरपुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण करा सकते हैं इसके लिए वे संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/केंद्र व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन पत्र लेकर तथा उसकी पूर्ति कर के निर्धारित शुल्क के दूबरी बाल न सहित परिषद् कार्यालय में भेज परिनिरीक्षण आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की प्रतिम तिथि १५ जुलाई १९७६ के उक्त तिथि के बाद एवं आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं जायेगा। यदि परिनिरीक्षण के लिए निर्धारित